ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 11, Issue 6, June 2021 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए चुनौतियां और अवसर

साहिबजादा डॉ सोलत अली खान

सह आचार्य फारसी

निदेशक अरबी फारसी शोध संस्थान,टोंक(राजस्थान)

सारांश

महिला सशक्तिकरण का मतलब समान स्थिति और महिलाओं को बनाने की स्वतंत्रता हो सकती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, स्वायत्त और सक्षम बनाना है, ताकि वे कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। भारतीय संविधान में लैंगिक और नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित करने, मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाने, बल में श्रम पर प्रतिबंध लगाने और महिलाओं के लिए निर्वाचित पदों को आरक्षित करने का प्रयास किया गया है ताकि यौन असमानताओं को कम किया जा सके। महिलाओं को समान अधिकारों के लिए राजनीतिक दलों में बढ़ती मांगों से जोड़ा जाता है। लैंगिक समानता पर संवैधानिक आवश्यकताओं के बावजूद, संसद में केवल कुछ महिलाएं ही अपना निर्णय ले सकती हैं।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान ने पाया है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हैं, लेकिन शक्तिशाली पितृसत्तात्मक प्रथाओं ने उन्हें दबा दिया है। भारतीय अर्थ 200 ईसा पूर्व मनु द्वारा उचित स्त्री आचरण के नियमों पर आधारित है। मनु कहते हैं: "किसी को भी अपने घर में एक युवा लड़की, युवा महिलाओं या यहां तक कि एक बुजुर्ग लड़की द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाना चाहिए।" महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के दौरान आप उनकी दयनीय स्थिति देख सकते हैं। महिलाओं के पास कई उद्देश्यों के लिए शिक्षा, अधिक काम, प्रशिक्षण, कुप्रबंधन, नपुंसकता, कुपोषण या खराब स्वास्थ्य नहीं है। चूंकि कामकाजी लड़कियां भारत में सबसे बड़ा गैर-विद्यालय समुदाय हैं। सामाजिक अपेक्षाओं और हिंसा के डर के बावजूद महिलाएं और लड़कियां पुरुषों की तुलना में बहुत कम शिक्षित हैं। महिलाएं अधिक घंटे काम करती हैं और उनकी नौकरी पुरुषों की तुलना में अधिक मांग वाली होती है। महिलाओं के काम को लोग बमुश्किल याद करते हैं, और ज्यादातर महिलाओं के काम को अदृश्य के रूप में देखा जाता है। जैसे-जैसे तकनीकी विकास ने महिलाओं को उन स्थितियों में पेश किया है जिनमें उन्हें पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, प्रौद्योगिकी के प्रभावों ने महिलाओं को गहराई से प्रभावित किया है। शिक्षा तक अनुचित पहुंच महिलाओं के विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल सीखने के अवसर को सीमित करती है। यात्रा करने में विफलता, कम साक्षरता और महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण महिलाओं को सीखने के कौशल से हतोत्साहित करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी समझते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं और महिलाएं क्या काम करती हैं, इस बारे में क्या गलतफहमियां हैं। महिलाओं और

लड़कियों के खिलाफ हिंसा दुनिया भर में मानवाधिकारों का सबसे व्यापक उल्लंघन है। दुर्व्यवहार का डर एक कारण है कि महिलाएं अपने घरों के बाहर और अंदर काम नहीं करना चाहती हैं। आज घर से बाहर गरीबी महिलाओं की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। नतीजतन, नीतियों, पहलों, सेवाओं और योजनाओं के उचित और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और बाधाओं को दूर करने और भारत में प्रभावी और खूनी लैंगिक न्याय स्थापित करने के लिए प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए मौजूदा खामियों को कानून में प्लग करना आवश्यक है। महिलाओं को अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के साथ-साथ कानून और संस्थागत परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि, एक निष्पक्ष समाज में समग्र रूप से समाज की मानसिकता और विचार को स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है जहां महिलाओं के समान अधिकार, कानूनी समानता और अधिकारों को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना की जाती है।

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जो महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं में निर्णय लेने, अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कई चुनौतियां और अवसर हैं। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं में निर्णय लेने, अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान की जाती है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को शामिल करती है।

महिला सशक्तिकरण के कई फायदे हैं। यह महिलाओं को अपने जीवन को बेहतर बनाने और समाज में अधिक सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह महिलाओं को हिंसा से बचाने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। महिला सशक्तिकरण समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समान बनाता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए कई चुनौतियाँ भी हैं। इनमें लिंग आधारित भेदभाव, सांस्कृतिक रूढ़िवाद, गरीबी और असमानता शामिल हैं। लिंग आधारित भेदभाव महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों तक पहुंचने से रोकता है। सांस्कृतिक रूढ़िवाद महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने से रोक सकता है। गरीबी और असमानता महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने से रोक सकती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कई अवसर भी हैं। महिलाओं की शिक्षा

और कौशल में सुधार हो रहा है। महिलाएं राजनीति और व्यवसाय में अधिक प्रतिनिधित्व हासिल कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं में निर्णय लेने, अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान की जाती है।महिला सशक्तिकरण के लिए कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें लिंग आधारित भेदभाव, सांस्कृतिक रूढ़िवाद, गरीबी और असमानता शामिल हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार, समाज और महिलाओं के स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता होगी।

सरकार कानूनों और नीतियों को लागू करके लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने में मदद कर सकती है। समाज सांस्कृतिक रूढ़िवाद को बदलने के लिए जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करके मदद कर सकता है। महिलाएं खुद को शिक्षित करके और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होकर मदद कर सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। यह महिलाओं को अपने जीवन को बेहतर बनाने और समाज में अधिक सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद करता है।

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है।

कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

इन योजनाओं के माध्यम से, भारत सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें एक समान समाज बनाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य लड़कियों की जन्म दर और साक्षरता दर बढ़ाना है। इस योजना के तहत, सरकार लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चला रही है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत योजना है, जो लड़कियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। इस योजना के तहत, माता-पिता एक लड़की के जन्म के बाद एक खाता खोल सकते हैं और 15 वर्षों तक मासिक या त्रैमासिक किस्तों में पैसे जमा कर सकते हैं। खाते में जमा किए गए पैसे पर ब्याज की दर 8.6% प्रति वर्ष है।

महिला शक्ति केंद्र

महिला शक्ति केंद्र एक सरकारी पहल है, जो महिलाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करती है। इन केंद्रों में, महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण, बुनाई, सिलाई, ब्यूटीशियन आदि जैसे कौशल सिखाए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) एक सरकारी पहल है, जो ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस मिशन के तहत, महिलाओं को समूहों में संगठित किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून

भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कई कानून बनाए हैं। इनमें दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और यौन उत्पीड़न (निवारण, निदान और प्रतिषेध) अधिनियम शामिल हैं। इन कानूनों के तहत, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

लिंग आधारित भेदभाव:

भारत में महिलाओं को अभी भी लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस भेदभाव के कुछ रूपों में शामिल हैं:

- रोजगार में भेदभाव: महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन और अवसर मिलते हैं।
- शिक्षा में भेदभाव: लड़कियों की शिक्षा में लड़कों की तुलना में कम निवेश किया जाता है।
- राजनीति में भेदभाव: महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

- सामाजिक जीवन में भेदभाव: महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और अन्य forms of लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ता है।

- सांस्कृतिक रूढ़िवाद: भारत में कुछ सांस्कृतिक रूढ़िवाद महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों तक पहुंचने से रोकते हैं। इन रूढ़िवादों में शामिल हैं:

- लड़की भ्रूण हत्या: लड़कियों की जन्म दर में लड़कों की तुलना में कमी।
- बाल विवाह: लड़कियों का कम उम्र में शादी करना।
- सती प्रथा: विधवा महिलाओं का अपने पति की चिता में जलना।
- दहेज: शादी के समय लड़की के परिवार को दहेज देने की प्रथा।

- गरीबी और असमानता: भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक गरीबी और असमानता का सामना करती हैं। गरीबी और असमानता महिलाओं को अपने जीवन में अधिक विकल्प बनाने से रोकती है।

- शिक्षा और कौशल की कमी: भारत में महिलाओं की शिक्षा और कौशल की कमी उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अपने जीवन में अधिक विकल्प बनाने से रोकती है।

- लैंगिक हिंसा: भारत में महिलाएं यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य forms of लैंगिक हिंसा का शिकार होती हैं। लैंगिक हिंसा महिलाओं को अपने जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने से रोकती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कई अवसर भी हैं। इनमें शामिल हैं:

- सरकारी पहल: भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है, जैसे कि महिला सशक्तीकरण नीति और राष्ट्रीय महिला आयोग।
- सामाजिक कार्य: गैर-सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं।
- तकनीक का उदय: तकनीक महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों तक पहुंचने में मदद कर रही है।
- शिक्षा और कौशल में सुधार: भारत में महिलाओं की शिक्षा और कौशल में सुधार हो रहा है।

निष्कर्ष:

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। चुनौतियों को दूर करने और अवसरों का

लाभ उठाने के लिए सरकार, समाज और महिलाओं के स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता होगी। महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के दौरान आप उनकी दयनीय स्थिति देख सकते हैं। महिलाओं के पास कई उद्देश्यों के लिए शिक्षा, अधिक काम, प्रशिक्षण, कुप्रबंधन, नपुंसकता, कुपोषण या खराब स्वास्थ्य नहीं है। चूंकि कामकाजी लड़कियां भारत में सबसे बड़ा गैर-विद्यालय समुदाय हैं। सामाजिक अपेक्षाओं और हिंसा के डर के बावजूद महिलाएं और लड़कियां पुरुषों की तुलना में बहुत कम शिक्षित हैं। महिलाएं अधिक घंटे काम करती हैं और उनकी नौकरी पुरुषों की तुलना में अधिक मांग वाली होती है। महिलाओं के काम को लोग बमुश्किल याद करते हैं, और ज्यादातर महिलाओं के काम को अदृश्य के रूप में देखा जाता है। जैसे-जैसे तकनीकी विकास ने महिलाओं को उन स्थितियों में पेश किया है जिनमें उन्हें पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, प्रौद्योगिकी के प्रभावों ने महिलाओं को गहराई से प्रभावित किया है। शिक्षा तक अनुचित पहुंच महिलाओं के विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल सीखने के अवसर को सीमित करती है।

सन्दर्भ

1 प्रो0 लाल, बिहारी रमनः शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिदृश्य,आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ, 2016

2 मदान प ूनम, डा0 यादव कमलेश: शिक्षा के सामाजिकपरिदृश्य, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2015

3 महीपाल: पंचायतीराज, चुनौतियां एवं संभावनाए, राष्ट ंीयपुस्तक न्यास, दिल्ली, 2014

4 राजोरा, डा0 सुरेश चन्द्र: समकालीन भारत की सामाजिकसमस्याएं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2010

5 सिंह, वी0एन0, सिंह जनमेजय: भारत में सामाजिक आन्दोलन,रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016

6 पाण्डेय, तेजस्कर, पाण्डेय संगीता: भारत में सामाजिकसमस्याये ं, मैग्राहिल एजुकेशन प्रा0 लि0, दिल्ली, 2009

7 प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक पत्रिका, अंक नवम्बर, 2015

8 प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक पत्रिका, अंक अक्टूबर, 2016

9 प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक पत्रिका, अंक दिसम्बर, 2016

10 आर्थिक समीक्षा 2017-18, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,आर्थिक कार्य विभाग जनवरी, 2018

अन्य पत्र-पत्रिकाएं एवं समाचार-पत्र